रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012025-260207
CG-DL-E-14012025-260207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/ पौष 23, 1946
No. 28]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/ PAUSHA 23, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवंबर, 2024

सा.का.नि. 32(अ).— स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर उप सचिव (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 204, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110107 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2024 है।
 (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियम में, नियम 4 में, उपनियम (3) में, खंड (ii) में, "पांच वर्ष के लिए नवीकृत" शब्दों को, "दस वर्ष के लिए नवीकृत" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. उक्त नियम में, नियम 51(1) में, "अधिकतम पांच वर्ष" शब्दों को, "अधिकतम दस वर्ष" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. उक्त नियम में, नियम 51(2) में, "अधिकतम पांच वर्ष" शब्दों को, "अधिकतम दस वर्ष" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. उक्त नियम में, नियम 55(2) में, "अधिकतम पांच वर्षो के लिए नवीकृत की जा सकती है" शब्दों को, "अधिकतम दस वर्षों के लिए नवीकृत की जा सकती है" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6. उक्त नियम में, प्ररूप-एलएस-1क **नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान** तालिका मे, स्तम्भ 1 मे, "पांच वर्ष" शब्दों को, "दस वर्ष" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
7. उक्त नियम में, प्ररूप एलएस-1ख, **नवीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान** तालिका मे, स्तम्भ 1 मे, "पांच वर्ष" शब्दों को, "दस वर्ष" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
8. उक्त नियम में, प्ररूप एलएस-1ग, **नवीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान** तालिका मे, स्तम्भ 1 मे, "पांच वर्ष" शब्दों को, "दस वर्ष" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
9. उक्त नियम में, प्ररूप एलएस-2 में, "यह अनुज्ञप्ति तारीख........तक विधिमान्य रहेगी (जारी करने के एक या अधिक, अधिकतम पांच वर्ष तक)" शब्दों को, "यह अनुज्ञप्ति तारीख........तक विधिमान्य रहेगी (जारी करने के एक या अधिक, अधिकतम दस वर्ष तक)" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 2(1)/2017-Expl-Part(1)]
डॉ संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 1109 (ई), दिनांक 1 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात सा.का.नि. 388 (ई), दिनांक 20 अप्रैल, 2018, सा.का.नि. 148 (ई), दिनांक 25 फरवरी, 2019 और सा.का.नि. 609 (ई) दिनांक 31/08/2021 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 29th November, 2024

G.S.R. (32)—The draft of the following rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty (30) days from the

date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Deputy Secretary (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 204, Vanijya Bhavan, New Delhi – 110001 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules , 2024.
   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the said rules, in rule 4 sub rule (3) clause (ii), the words, "renewed for five years" shall be replaced with the words "renewed for ten years"
3. In the said rules, in rule 51(1), the words, "maximum five years" shall be replaced with the words, "maximum ten years"
4. In the said rules, in rule 51(2), the words " maximum five years" shall be replaced with the words, "maximum ten years"
5. In the said rules, in rule 55(2), the words, "may be renewed for a maximum period of five years" shall be replaced with the words, "may be renewed for a maximum period of ten years"
6. In the said rules, in FORM-LS-1A SPACE FOR ENDORSEMENT TABLE COLUMN 1, the words, "five years" shall be replaced with the words, " ten years"
7. In the said rules, in FORM-LS-1B SPACE FOR ENDORSEMENT TABLE COLUMN 1, the words, "five years" shall be replaced with the words, "ten years".
8. In the said rules, in FORM-LS-1C SPACE FOR ENDORSEMENT TABLE COLUMN 1, the words "five years" shall be replaced with the words, "ten years".
9. In the said rules, in FORM-LS-2 the words, "This licence will remain valid up to______ the (one or more, maximum five years from date of grant)" shall be replaced with the words, "This licence will remain valid up to_____ (one or more, maximum ten years from date of grant)"

[F. No. 2(1)/2017-Expl-Part(1)]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification G.S.R. 1109 (E), dated the 1st December, 2016 and subsequently amended vide G.S.R 388(E), dated the 20th April, 2018, G.S.R 148(E), dated the 25th February, 2019 and G.S.R. 609 (E) dated 31/08/2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.14 12:14:50 +05'30'